न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–111/2021

धुप यादव एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

प्रभु भगत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
10.05.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 24.01.2023 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से आदेश 01 नियम 10(2) एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से दिनांक 24.01.2023 को आदेश 01 नियम 10(2) एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दिया गया। वादीगण का कहना है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद न0–ख में दर्ज वादग्रस्त भूमि पर अपने हकियत, अधिकार एवं दखल कब्जें की घोषणा तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में निष्पादित विभिन्न बयनामा दस्तावेज को फर्जी बेला हकियत एवं शुन्य घोषित करने हेतु लाया गया है। जिन बयनामा दस्तावेजों को फर्जी तथा शुन्य घोषित करने हेतु यह वाद लाया गया है उनमें दो निबंधित बयनामा दस्तावेज भोला भगत के नाम निष्पादित है। अतः उन्हें प्रतिवादी सं0–02 बनाया गया है। वादीगण को पता चला है कि भोला भगत की मृत्यु वाद दायर करने के पूर्व ही हो चूकी थी। लेहाजा भोला भगत का नाम वादपत्र से हटाना आवश्यक है। भोला भगत की पत्नी मु0 उमा देवी तथा तीन लडके रामदेव भगत, पंचानन्द भगत तथा विजय चौरसिया एवं एक लडकी रीता देवी है। जो इस वाद में आवश्यक पक्षकार है। पंचानन्द भगत पूर्व से ही प्रतिवादी सं0–03 के रूप में पक्षकार है तथा शेष लोगों को न्यायहित में पक्षकार	

लगातार 10.05.2023	बनाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–02 भोला भगत का नाम कलमजद करते हुये आवेदनानुसार अन्य लोगों को प्रतिवादी पक्षकार बनाने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01, 03 ता 05 की ओर से वादीगण के आवेदन का दिनांक 24.03.2023 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से खारिज होने योग्य बताया गया तथा कहा गया कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0–02 भोला भगत के विरूद्ध वाद लाया गया जबकि भोला भगत वाद दाखिल करने से पूर्व करीब दस साल पहले मर चूके थे। जबकि वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही गाँव के तथा पडोसी है। अतः वादीगण द्व ारा जानबुझकर मृत्य व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए वाद लाया गया था। प्रतिवादीगण अपना प्रतिवादपत्र दाखिल कर चूके है। अतः प्रतिवादीगणों को पुनः अतिरिक्त प्रतिवादपत्र दाखिल करना पडेगा। आवेदन पर मात्र एक वादी नागा यादव का हस्ताक्षर है जबकि प्रस्तुत वाद में तीन वादी है। अतः वादीगण का आवेदन खारिज योग्य बताया गया। प्रतिवादी सं0–06 एवं 07 के द्वारा वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 01.05.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण का आवेदन त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वादीगण के द्वारा दिये गये आवेदन में मृतक भोला भगत को प्रतिवादी सं0–02	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–111/2021

लगातार 10.05.2023	बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण भी वाद दाखिल के पूर्व ही भोला भगत की मृत्य होना स्वीकार करते है। मृतक भोला भगत के विधिक वारिसान आवेदन में दिये गये व्यक्ति वाद के आवश्यक पक्षकार प्रतीत होते है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि वाद से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनकर वाद का अंतिम न्याय निर्णयन किया जाना चाहिए। जिससें वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा पूर्व में ही अगर सावधानी बरती होती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। क्योंकि वाद दाखिल करने से पूर्व ही प्रतिवादी सं0–02 भोला भगत की मृत्यु हो चूकी थी तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्रामीण एवं पडोसी है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 24.01.2023 को मो0–1000/–(एक हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वादीगण के आवेदन में वर्णित प्रतिवादी सं0–02 मृतक भोला भगत का नाम कलमजद करे तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिवादी कॉलम में जोडें। वाद दिनांक 19.06.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	